COURT FEE भारत INDIA TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी /2017/
II/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/4782

1. प्रहलाद पुत्र श्री सूरतराम त्यागी,
2. परमोबाई पुत्री श्री मोगन पति सूरतराम
3. श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री श्री सूरजराम
   निवासीगण कनाथर, तहसील मेहगांव, जिला – भिण्ड (म0प्र0)

— आवेदकगण

बनाम

1. रूपा उर्फ रूप सिंह पुत्र श्री वंशी गोई, निवासी – तहसील गोहद, जिला भिण्ड
2. सुकेश देवी गुर्जर पत्नी श्री सर्जन सिंह,
3. कोमेश कुमार पत्नी श्री बृजपाल सिंह गुर्जर निवासीगण ग्राम कनाथर, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड (म0प्र0)

— अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहित, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.10.2014 एवं 18.10. 2017 पारि द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त कनाथर के प्रकरण क्रमांक 31/2017–18/अ–6 से दुखित होकर।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी आवेदन पत्र प्रकरण क्रमांक 26/2016–17 निगरानी आदेश दिनांक 23.08.2017 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला भिण्ड के विरूद्ध प्रस्तुत कर दी गंयी है, जिसमें विवादित भूमि सर्वे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी / भिण्ड / भू.रा. / 2017 / 4782

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त अमायन तहसील मेहगॉव के प्रकरण कमांक 31 / 17–18 अ–6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7–10–17 एंव 18–10–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गए। उन्होंने बताया है कि सिविल न्यायालय , अपर जिला न्यायाधीश एंव मान0 उच्च न्यायालय से आवेदकगण के पक्ष में डिक्री है फिर भी भूमि का दिनांक 18–9–17 को विक्रय किया जाकर नायव तहसीलदार वृत्त अमायन व्दारा नामान्तरण की कार्यवाही की जा रही है जिसके कारण नायव तहसीलदार की कार्यवाही निरस्त की जावे। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के कम में प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब आवेदकगण स्वयं के पक्ष में सिविल न्यायालय , अपर जिला न्यायाधीश एंव मान0 उच्च न्यायालय से डिक्री होना बता रहे है । माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी हैं। आवेदक सिविल न्यायालय , अपर जिला न्यायाधीश एंव मान0 उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ नायव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण कमांक 31 / 17–18 अ–6 में की जा रही कार्यवाही अवरूद्व कराने हेतु स्वतंत्र है। नायव तहसीलदार के व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7–10–17 एंव 18–10–17 में उक्तानुसार उल्लेख न होने से किसी प्रकार की अनियमितता करना प्रतीत नहीं है क्योंकि ट्रॉसफर आफ प्रापर्टी एक्ट की धारा 52 के अनुसार विचाराधीन भूमि के संबंध में मामला वरिष्ठ न्यायालय में चलने से आवेदकगण के अधिकार सुरक्षित हैं । फलस्वरूप निगरानी प्रचलन–योग्य न पाये जाने से इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	